न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 85/2020 दायर दिनांकः 18.11.2020

उनवान

प्रतापसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत नि. हनोतिया रायमल तहसील सुनेल

— वादी

बनाम

1. पूरीबाई पि. गंगाराम जाति राजपूत सोन्धिया नि. हड़मतिया हिन्दूसिंह तहसील सुनेल
2. श्यामसिंह पि. पूरीबाई जाति राजपूत सोन्धिया नि. हड़मतिया हिन्दूसिंह तहसील सुनेल
3. धीरपसिंह पि. पूरीबाई जाति राजपूत सोन्धिया नि. हड़मतिया हिन्दूसिंह तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —
अभिभाषक वादी — श्री पूरीलाल राठौर
प्रतिवादीगण — एकतरफा

निर्णय दिनांक : 05.06.2025

हस्तगत प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि नकल जमाबंदी हनोतिया रायमल तहसील सुनेल जिला झालावाड राजस्थान संवत् 2076—79 के खाता संख्या 84 खसरा संख्या 312 क्षेत्रफल 0.5564 हैक्टर राजस्व भूमि स्थित है जिसकी प्रमाणित प्रति नकल जमाबंदी संलग्न हैं। यह कि वादपत्र के चरण कमांक 1 में वर्णित आराजी में वादी खातेदार के रूप में दर्ज हैं, प्रतिवादीगंण का इस खसरे से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नही है उसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण ने दिनांक 26.10.2020 को वादी की इस भूमि पर अवैधानिक नियन्त्रण बनाकर बिना वैध अधिकार के ही अवैधानिक प्रवेश कर कब्जे करने करने की कोशिश की हैं तदर्थ वादी आसामी के रूप में प्रतिवादीगण के विरूद्ध व्यादेश प्राप्त करने का हकदार है। यह कि वाद हेतुक प्रतिवादीगण ने दिनांक 26.10.2020 को वादी की इस भूमि पर अवैधानिक नियन्त्रण बनाकर बिना वैध अधिकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अवैधानिक प्रवेश कर कब्जे करने करने की कोशिश करने से उत्पन्न हुआ। यह कि उक्त भूमि इस माननीय न्यायालय न्यायालय की अधिकारिता में स्थित होने से वाद की अधिकारिता माननीय न्यायालय में निहित है तथा इसकी श्रवणक्षेत्र की एकमात्र अधिकारिता भी इसी न्यायालय में निहित हैं। यह कि वाद निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत हैं। यह कि वाद कानूनी रूप से निर्धारित अवधि में प्रस्तुत हैं। अतः प्रस्तुत वाद में वादी निम्न अनुतोष का दावा करता है–

(अ) वादपत्र के चरण कमांक 1 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से कोई विघ्न कारित कर वादी के खातेदारी अधिकारो में हस्तक्षेप न करे इस बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश जारी किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी मामले में वादी के पक्ष में उचित समझे नियमानुसार पारित करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया परन्तु प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 17.10.2024 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम हनोतिया रायमल का खाता सं. 84 की जमाबंदी सं. 2076–79 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, खसरा नक्शा दिनांक 11.11.2020, भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त सुनेल की मौका रिपोर्ट दिनांक 02.06.2010 की छायाप्रति पेश किये एवं साक्ष्यवादी में प्रतापसिंह पि. नाहरसिंह, अनोपसिंह पि. बालसिंह, केसरसिंह पि. नाहरसिंह के PW-1 To 3 के शपथपत्र/बयान कराये गये।

4. अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ग्राम हनोतिया रायमल की भूमि ख.नं. 312 रकबा 0.5564 है. का रिकार्डेड टीनेन्ट है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 26.10... बिना किसी हक व अधिकार के वादी की भूमि ख.नं. 312 रकबा 0.5564 ... जबरन अवैधानिक प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश की ... वादी को अपने काश्तकारी अधिकारो में बीधा उत्पन्न हो रही है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को जब मना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

किया गया तो वे लडाई झगडे पर आमदा हुए। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि – वे बिना किसी विधिक प्राधिकार के वादी की आराजी ख.नं. 312 रकबा 0.5564 है. भूमि पर कब्जा काश्त में दखल नहीं देवे और विघ्न कारित नहीं करें।

5. अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादीगण का बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादीगण अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाब नहीं है।

6. अभिभाषक वादी की बहस एकतरफा के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम हनोतिया रायमल तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2076–79 प्रदर्श 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त आराजी ख.नं. 312 रकबा 0.5564 है. भूमि का खातेदार टीनेन्ट है। वादी द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी के खसरा नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की आराजी है। वादी द्वारा पेश साक्ष्य गवाह PW-1 ने अपने बयानों में कथन किया है कि वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का इस खसरे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसके उपरांत भी प्रतिवादीगण ने दिनांक 26.10.2020 को वादी की इस भूमि पर अवैधानिक नियंत्रण बनाकर बिना वैध अधिकार के ही अवैधानिक प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश की है तदर्थ वादी आसामी के रूप में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई व्यादेश प्राप्त करने का हकदार है। साक्ष्य गवाह PW-2 & 3 अनोपसिंह पि. वालसिंह, केसरसिंह पि. नाहरसिंह द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि ग्राम हनोतिया रायमल की भूमि ख.नं. 312 रकबा 0.5564 है. वादी की खातेदारी में स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 26.10.2020 अर्थात आज से साढे चार साल पूर्व अवैधानिक कब्जा करने की कोशिश की थी, कब्जा करने में प्रतिवादीगण सफल नहीं हुए तो उक्त भूमि की सीमाओं को नुकसान पहूँचाने का प्रयास कर रहे है। अतः साबित है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि में कब्जा करने का प्रयास किया है और वादी के खातेदारी अधिकारों का उल्लंघन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट है और कब्जा काश्तरत है जिस पर प्रतिवादीगण बलपूर्वक अवैध रूप से (without lawful authority) कब्जा करना चाह रहे है। अतः प्रतिवादीगण अतिक्रमी है। **प्रतिवादीगण के जबरन कब्जा करने के प्रयास से वादी को क्षति होना साबित है जिसकी क्षतिपूर्ति अपूरनीय होना संभावित है।** प्रतिवादीगण को वादी के खाते व कब्जे की आराजी से होकर जबरन कब्जा करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद नहीं किये जाने पर **पक्षकारो के मध्य लडाई झगडा एवं वाद बहुलता भी बढेगी।** प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से यह तथ्य जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाब नहीं और वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर दखल नहीं देने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किये जाने योग्य है। यहां धारा 188 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम हनोतिया रायमल की वादग्रस्त भूमि ख.नं. 312 रकबा 0.5564 है. आराजी पर अतिक्रमण कर कब्जा करने के संबंध में वादी का वाद धारा 188 आर.टी. एक्ट न्यायहित में स्वीकार करने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम हनोतिया रायमल की भूमि ख.नं. 312 रकबा 0.5564 है. भूमि में न तो जबरन कब्जा करें और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का विघ्न कारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:35:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 85/2020 दायर दिनांकः 18.11.2020

उनवान

प्रतापसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत नि. हनोतिया रायमल तहसील सुनेल

— वादी

बनाम

1. पूरीबाई पि. गंगाराम जाति राजपूत सोन्धिया नि. हड़मतिया हिन्दूसिंह तहसील सुनेल
2. श्यामसिंह पि. पूरीबाई जाति राजपूत सोन्धिया नि. हड़मतिया हिन्दूसिंह तहसील सुनेल
3. धीरपसिंह पि. पूरीबाई जाति राजपूत सोन्धिया नि. हड़मतिया हिन्दूसिंह तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —
अभिभाषक वादी — श्री पूरीलाल राठौर
प्रतिवादीगण — एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....x..... रूबरू.....x.....
मिनजानित मुदई रूबरू .....x.....

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम हनोतिया रायमल की भूमि ख.नं. 312 रकबा 0.5564 है. भूमि में न तो जबरन कब्जा करें और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का विघ्न कारित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:35:17 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह .....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 05.06.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:35:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner